

मिसल नं. 38/19 उनवान महावीर बनाम महारवा

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	
22/2/21	<p>वकील वादी उपस्थित। वादी कांय उपस्थित वकील वादी ने वादी की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिले बाद व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 RTA को विद्वां वकील वादी पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शा. का. किया गया। इसका बाद इसी स्तर पर विद्वां किया जा रहा है। पत्रावली फंसल हमारे लेकर तब से कस ले बाद लगील अभिलेख के उपविष्ट है। आदेश सुनाया गया।</p>

Moharwa


उप सचिव अधिकारी
 बारां

